

20

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर कैम्प सागर (म.प्र.)
पुनरीक्षण क्र. R 3438-III/14
ता.पे.

आपका कानून सागर
से दि. 29-9-14 को प्राप्त।

29-9-14



1. बैजनाथ प्रसाद पटैल बल्द धनीराम पटैल
पता रेल्वे स्टेशन के पीछे लोको, दमोह तहसील व जिला, दमोह
2. अर्जुन लाल पटैल बल्द रामदयाल पटैल
पता तीन गुल्ली दमोह तहसील व जिला, दमोहपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण
विरुद्ध
1. रविशंकर पिता भगवानदास पटैल
साकिन कुआखेड़ा बाजी तहसील पटेरा जिला, दमोह
2. मध्यप्रदेश शासनउत्तरवादीगण/आवेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

श्रीमान् जी

पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय दमोह पीठासीन श्री अनिल शुक्ला के स्वमेव निगरानी क्र. 02अ/12 वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30/8/14 से पीड़ित व दुखित होकर पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के तथ्य :-

संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरवादी/आवेदक क्र. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजा हटा (खास) प.ह.नं. 32 के खसरा नंबर 277/9 रकवा 0.050 व 284/4 रकवा 0.010 हे. के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय हटा के द्वारा रा.प्र.क्र. 29अ/12 वर्ष 13-14 सीमांकन बावत् प्रकरण कायम किया गया था। चूंकि सीमांकन कार्यवाही आवेदक/उत्तरवादी क्रमांक 1 की उपस्थिति में एवं पुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण की अनुपस्थिति में की गई थी, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के श्रीमान् तहसीलदार महोदय हटा के समक्ष इस आशय की

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3438-एक/2014

जिला दमोह

बैजनाथ विरूद्ध रविशंकर व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक रविशंकर की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला दमोह के स्वमेव निगरानी क्रमांक 02अ/12 वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-08-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-10-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p>	

hars
20.12.18

12

2

1

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 24.01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

२२

३

by
(आर.के. जैन)
सदस्य
20.12.18